



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 15.03.2023

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस, एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में कांधला क्षेत्रान्तर्गत आरबीएल बैंक कर्मचारी के साथ हुई लूट की घटना में वांछित मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से लूटी हुई नकदी, अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद ।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.03.2023 को वादी श्री फारुख पुत्र बाबू निवासी ग्राम राजपुर छाजपुर थाना बुढाना जनपद मु0नगर RBL बैंक की किस्तों का कलेक्शन करके ग्राम नाला नहर पटरी से जा रहा था उसी दौरान नहर पटरी के पास खड़े 03 बाईक सवार बदमाशों द्वारा तमंचा दिखाकर 60000/- रुपये, मोबाइल फोन व बैंक सम्बन्धी कागजातों को लूट लेने के सम्बन्ध में पीडित की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 14.03.2023 को लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण व 01 अभियुक्ता को लूट की नकदी, बैग, बैंक सम्बन्धी कागजात सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तगण का 01 साथी मुस्तफा मौके से फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना कांधला पुलिस व एसओजी शामली लगातार प्रयासरत थी।

जिसके क्रम में आज दिनांक 15.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये गये चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस, एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नाला नहर की पटरी पर फाईनेन्स कर्मचारी (आरबीएल बैंक) से हुई लूट की घटना में वांछित मुख्य अभियुक्त मुस्तफा को गिरफ्तार में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है , जिसके कब्जे से लूटी हुई नकदी , अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मुस्तफा पुत्र दिलशाद उर्फ दिल्लू निवासी ग्राम मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.लूट की धनराशि से प्राप्त कुल 15000/- रुपये नकद।
- 2.लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एसएफ डीलक्स यू0पी0-19एच-5819।
- 3.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मु0अ0स0 94/2023 धारा 392,411,506,120बी, 34 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हसनपुर लुहारी के जंगल में फोटोग्राफर से हुई लूट की घटना में शामिल बदमाश मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा मय खोखा/जिन्दा कारतूस बरामद:-

दिनांक 14.03.2023 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा ग्राम हसनपुर लुहारी के जंगल में फोटोग्राफर से लूट की घटना करने में शामिल बदमाश से मसावी-कुतुबगढ मार्ग नहर पटरी पर हुई मुठभेड में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 बदमाश को घायल/गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी थानाभवन में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तार लूटेरे के 01 साथी शेरु राव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जैसा कि ज्ञात है कि दिनांक 03.03.2023 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हसनपुर लुहारी रजवाहा पटरी से श्री रजनीश (फोटोग्राफर) से अज्ञात बदमाशों द्वारा उसका मोबाइल फोन व कैमरा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में पीडित द्वारा थाना थानाभवन पर अज्ञात लूटेरों के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 91/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14.03.2023 को लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए थानाभवन पुलिस द्वारा अभियुक्त आबिद को लूट के माल कैमरा, मोबाइल, बैग सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के 02 साथी नफीस पुत्र इदरीश, शेरु पुत्र रिफाकत निवासीगण ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन मौके पर फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु थाना थानाभवन पुलिस निरन्तर प्रयासरत थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.नफीस पुत्र ईदरीश निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नफीस-

- 1.मु0अ0सं0 343/2017 धारा 307 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0346/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 460/2017 धारा 364A भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 461/2017 धारा 394 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 355/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- 6.मु0अ0सं0 91/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:

- 1.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर।

